प्र.सं.— 02/2021
(GCM*2021/87)
संस्थित दिनांक 12.10.2021
निर्णय दिनांक — 05.07.2023

उपस्थितिः— 1 श्री अशोक कुमार जोशी अपीलान्ट्स

:: निर्णय :: दिनांक : 05.07.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :—

यह है कि ग्राम बीगावास में कृषि भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 0.21 है0, 116 रकबा 0.25 है0,, 117 रकबा 0.14 है0, 117/725 रकबा 0.11 है0, 257 रकबा 1.59 है0, 258 रकबा 0.37 है0, 259 रकबा 0.55 है0, 259/720 रकबा 0.46 है0, 260 रकबा 0.42 है0,261 रकबा 0.48 है0, 263 रकबा 0.59 है0, 264 रकबा 0.42 है0, 460 रकबा 0.12 है0, 461 रकबा 0.14 है0, 481 रकबा 0.27 है0,487 रकबा 0.10 है0,642 रकबा 0.28 है0, 643 रकबा 0.26 है0, 644 रकबा 0.20 है0, कुल किता 19 कुल रकबा 6.90 है0 स्थित है, जिसका नया खाता संख्या 152 है व पुराना खाता संख्या 146 है।

यह कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला0 5 के पूर्वज ग्यारसा के निधन पर नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 22.05.89 को खोला गया था जिसमें स्व. श्री ग्यारसा के स्थान पर नामान्तकरण अपीलांट रामसिंह, सुमेर, संतोष व बच्ची बेवा आनन्दा व गोपाल, कल्याण पिसरान ग्यारसा व श्रीमती गंगा बेवा ग्यारसा के हक में खोला गया था लेकिन बाद में गंगा बेवा ग्यारसा का देहान्त लगभग 1992—93 के आस—पास हो गया था। गंगा बेवा ग्यारसा के उत्तराधिकारी अपीलांट भी है इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि ग्यारसा के निधन पर जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें नामान्तरकरण संख्या 7 में अपीलांट का नाम भी नामान्तरकरण में दर्ज किया गया लेकिन गंगा बेवा ग्यारसा के निधन पर जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें जानबूझकर अपीलांट्स को ना तो नोटिस दिया गया, ना सुनवाई का कोई अवसर दिया गया एवम गुपचुप में बिना किसी जांच के नामान्तरकरण गोपाल, कल्याण के हक में अवैध रूप से खोल दिया गया। उक्त गोपाल का बाद में देहान्त हो गया है जिसके उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ला0 5 है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण संख्या 108 की कभी कोई जानकारी नही थी। चूंकि अपीलांट्स भी मृतका के उत्तराधिकारी है एवम एग्रीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स. — 02 / 2021
[illegible]
दायर दिनांक 12.10.2021
निर्णय दिनांक — 08.07.2023

परस्पर है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 108 को विरासत गंगा से संबंधित है के विरुद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

1. यह है कि योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत हिंगोटिया का नामान्तरकरण संख्या 108 विधि विरूद्ध एवम तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।
2. यह कि अपीलांट्स संख्या 1 ला0 3 गंगा बेवा ग्यारसा के पौत्रगण है एवम बच्ची बेवा आनन्दा उनकी पुत्रवधू है क्योंकि अपीलांट्स के पिता आनन्दा का देहान्त अपने पिता ग्यारसा के जीवनकाल में ही हो गया था इसलिए गंगा की विरासत के नामान्तरकरण में अपीलांट्स के गंगा के पौत्र व उनकी पुत्रवधु होने के नाते नामान्तरकरण खुलना चाहिऐ था लेकिन योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने उत्तराधिकार की सही रूप से जांच न कर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर न देकर नामान्तरकरण खोलने में कानूनी गलती की है।
3. यह कि नामान्तरकरण संख्या 108 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण संख्या 108 को खोलने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई एवमं केवल मात्र गोपाल व कल्याण को मृतक गंगा का पुत्र मानकर जो उक्त नामान्तरकरण खोला गया है वह नामान्तरकरण सरसरी तौर पर ही गलत है। क्योंकि अपीलांट्स संख्या 1 ला0 3 के दादा ग्यारसा की पत्नि श्रीमती गंगा है एवमं नामान्तरकरण सख्या 7 में जो शजरा दिया गया है, उसमे आनन्दा के वारिस रामसिंह, सुमेर, संतोष व बच्ची को बतलाया गया है। जब नामान्तरकरण संख्या 7 अपीलांट्स के हक में खोला गया था जो उसी क्रम में नामान्तरकरण संख्या 108 भी अपीलांट्स के हक में खोला जाना चाहिए था लेकिन योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने इस तथ्य पर गौर न कर नामान्तरकरण संख्या 108 खोलने में कानूनी गलती की है।
4. यह कि उक्त नामान्तरकरण बहुत ही जल्दबाजी में प्रशासन गांवो के संग अभियान में बगैर कोई जांच के खोला गया है। न्याय का यह सिद्धान्त है कि किसी भी नामान्तरकरण को खोलने से पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था। अपीलांट्स संख्या 1 ला0 3 मृतक गंगा बेवा ग्यारसा के पौत्र है व अपीलांट्स संख्या 4 उनकी पुत्रवधु है जो कि एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रभावित पक्ष है जिन्हे नामान्तरकरण खोलने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार नोटिस देना अनिवार्य था लेकिन ग्राम पंचायत हिंगोटिया के सरपंच व पटवारी हल्का गिरदावर राजस्व अधिकारियों ने आपस में मिलीभगत कर अपीलांट्स को उनके अधिकारो से वंचित करने का प्रयास किया है इसलिए भी उक्त नामान्तरकरण कानूनन निरस्तनीय है।

5. यह कि अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण संख्या 108 की कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया अपीलांट्स को उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही का किसी प्रकार से ज्ञान नहीं हो सका एवम उक्त नामान्तरकरण बहुत जल्दबाजी में प्रशासन गांवो के संग अभियान में खोला गया जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई चूंकि रेस्पोडेन्ट अपीलांट के ही परिवार के लोग है उन पर अपीलांट्स को किसी प्रकार का अविश्वास भी नही था। अपीलांट्स मृतक ग्यारसा के पुत्र आनन्दा के उत्तराधिकारी है व साथ ही गंगा बेवा ग्यारसा के भी उत्तराधिकारी है एवम वर्तमान में ग्यारसा के हिस्सा 1/3 पर उनका कब्जा है। पिछले दिनों दिनांक 19.05.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक ला. पांच ने अपीलांट्स से झगडा किया एवम उन्होने स्पष्ट धमकी दी कि उनके नाम रिकार्ड में ज्यादा जमीन है इसलिए अपीलांट्स को गंगा बेवा ग्यारसा के हिस्से का नामान्तरकरण न खुलने से अपीलांट्स को उक्त हिस्से से बेदखल करेंगे व कब्जा करेंगे अपीलांट्स न उन्ही काफी समझाया कि जब ग्यारसा नामान्तरकरण खुला तो आनन्दा के पुत्र होने के नाते अपीलांट नम्बर 1 ला0 3 व अपीलांट संख्या 4 के पुत्रवधू होने के नाते नामान्तरकरण खुला था तो गंगा बेवा ग्यारसा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण उनके नाम नही खुला है इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या ला. ने बताया कि उन्होने सरपंच व पटवारी से मिलकर नामान्तरकरण केवल अपने नाम खुलवा लिया है इस पर अपीलांट्स ने दिनांक 20.05.2020 को कलेक्ट्रेट दौसा पहुंचकर सभी तथ्यों की जानकारी की व दिनांक 21.05.2020 को नकले प्राप्त हुई है एवम जानकारी से उक्त अपीज अंदर मियाद पेश की जा रहीं है फिर यदि किन्ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:23:31 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलक्टर
लवाण

कारणों से उक्त अपील को देरी मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

6. यह कि अपीलांट संख्या 1 ला0 4 मृतक ग्यारसा के मृतक पुत्र आनन्दा के उत्तराधिकारी है एवम आनन्दा का देहान्त ग्यारसा के जीवनकाल में ही हो गया था इसलिए मृतक गंगा बेवा ग्यारसा के विरासत के नामान्तरकरण में अपीलांट्स का नाम अंकित होना चाहिए था जो पटवारी हल्का व सरपंच ने जानबूझकर दर्ज नहीं किया है इसलिए अपीलांट्स उक्त अपील को पेश करने के लिए एग्रीड है जिस हेतु जैर दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. यह कि अन्य उज्रात वरवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

8. यह कि अपील में न्यायालय को श्रवणाधिकार व श्रेत्राधिकार प्राप्त है। अतः अपील अपीलांट्स प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत हिंगोटिया का नामान्तरकरण आदेश दिनांक 26.11.2001 को निरस्त किये जाने का आदेश देने की कृपा करे एवम अपीलांट्स 1 ला0 5 के नाम मृतक गंगा की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र मियाद 5 दफा पेश कर कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 108 की कार्यवाही में किसी प्रकार को कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलान्ट्स को उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही का किसी प्रकार से ज्ञान नही हो सका एवमं उक्त नामान्तरकरण बहुत जल्दबाजी में प्रशासन गांवो के संग अभियान में खोला गया जिसकी सूचना अपीलान्ट्स को नही दी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ला. पांच ने अपीलान्ट्स से दिनांक [illegible] को [illegible] एवम उन्होने स्पष्ट धमकी दी कि उनके नाम रिकार्ड में [illegible] अपीलान्ट्स को गंगा बेवा ग्यारसा के हिस्से का नामान्तरकरण न खुलने से अपीलान्ट को उक्त हिस्से से बेदखल करेंगे व कब्जा करेंगे अपीलांट्स ने उन्ही काफी समझाया कि जब ग्यारसा नामान्तरकरण खुला तो आनन्दा के पुत्र होने के नाते अपीलांट नम्बर 1 ला0 3 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

अपीलांट संख्या 4 के पुत्रवधू होने के नाते नामान्तरकरण खुला था तो गंगा बेवा ग्यारसा की मृत्यु उपरान्त नामान्तरकरण उनके नाम नही खुला है इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ला0 5 ने बताया कि उन्होने सरपंच व पटवारी से मिलकर नामान्तरकरण केवल अपने नाम खुलवा लिया है इस पर अपीलांट्स ने दिनांक 20.05.2020 को कलेक्ट्रेट दौसा पहुंचकर समी तथ्यों की जानकारी की व दिनांक 21.05.2020 को नकले प्राप्त हुई है एवम जानकारी से उक्त अपील अंदर मियाद पेश की जा रहीं है फिर यदि किन्ही कारणों से उक्त अपील को देरी मानी जावे तो दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है जिस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अपीलांट्स अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गई। अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को ही दौराहा गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस नही की गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 8 बाद तामील भी उपस्थित नही होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 26.11.2001 गोपाल, कल्याण पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/4 के पक्ष में तस्दीक किया गया लेकिन अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 22.05.1989 की प्रमाणित प्रति ग्राम बीघावास पर ग्यारसा के वारिसान का सजरा पेश किया गया है उसमे उसके वारिसान आनन्दा, गोपाल, कल्याण, गंगा बेवा अंकित किया गया है। जब नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक 22.05.1989 अपीलांट्स के हक में खोला गया था तो नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 26.11.2001 भी उसी क्रम मे अपीलांट्स के हक में खोला जाना चाहिए था लेकिन योग्य अधिनस्थ [illegible] ने इस तथ्य पर गौर न कर नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 26.11.2001 को तस्दीक करने में कानूनी त्रृटि की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:- 02 / 2021
(GCMS2021/87)
दायर दिनांक 12.10.2021
निर्णय दिनांक :- 05.07.2023

अपील अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 108 ग्राम पंचायत हिंगोटिया दिनांक 26.11.2001 के विरूद्व दफा 5 कानूनन मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है अतः कानूनन स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 108 दिनांक 26.11.2001 ग्राम पंचायत हिंगोटिया पर पारित आदेश खारिज कर तहसीलदार लवाण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतका गंगा बेवा ग्यारसा के वारिसान की जाँच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

इस आशय की तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण
उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.08.11 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested